न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 52 / 2017

RCMS No. 2017/00241

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1 नारायणलाल पुत्र देवाराम 2 मिश्रीलाल पुत्र देवाराम जातिगण देवासी निवासीगण कल्याणपुरा तहसील रानी जिला पाली		1. पोकरराम पुत्र जेपाराम जाति देवासी निवासी कल्याणपुरा हाल निवासी इन्द्रसिंह राणावत कृषि फार्म, रानी स्टेशन नदी के पास, रानी स्टेशन 2. ग्राम पंचायत कीरवा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कीरवा तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री पीताराम परिहार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05/09/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, कीरवा द्वारा मिसल संख्या 26 / 2007–2008, संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्‌टा संख्या 09 दिनांक 15.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्‌टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने रहवासी मकान का पट्‌टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्‌टा जारी किया गया, उसमें प्रार्थी की कब्जासुदा मालिकाना हक की 12x120 वर्गफुट भूमि सम्मिलित करते हुए पट्‌टा जारी किया गया। उक्त सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी प्रार्थी को तब हुई, जब उक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्‌टे की आड में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया गया, तब पुलिस एवं ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर नाप चौक करने पर प्रार्थी को यह जानकारी हुई। अप्रार्थी पोकरराम ने मनोनीत पंचों के मौके पर बिना नाप किए मनगढन्त नाप अंकित कर फर्जी विक्रय विलेख जारी किया। विधिवत रूप से न तो ग्राम सेवक द्वारा मौके पर नाप कर नक्शा कायम किया गया तथा न ही पंचों द्वारा भौतिक रूप से मौका निरीक्षण रिपोर्ट

अति० जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत की गई। जिन गवाहों के बयान कलमबद्ध करने का अंकन किया गया है, उनमें गवाहों के नाम अंकित ही नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही मात्र कागजी खानापूर्ति करते हुए की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करावें। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, कीरवा द्वारा मिसल संख्या 26/2007–2008, संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 15.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा दिनांक 27.03.2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मिसल के अतिरिक्त अन्य वांछित रेकर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ है। मिसल के अनुसार प्रकरण का परीक्षण करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी पोकरराम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कीरवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनवाने का निवेदन किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा सचिव को प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क लेकर पत्रावली कायम करने के आदेश पारित किए। इस पर सचिव द्वारा दिनांक 05.03.2008 को मिसल पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर सचिव को नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचो को मौका निरीक्षण करने हेतु मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तथा पंचो द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दिनांक 20.03.2018 को पट्टा जारी करने हेतु अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में जारी आपत्ति इश्तिहार दो व्यक्तियों के समक्ष चस्पा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.04.2008 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में दो व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध किए जाकर दिनांक 05.05.2008 को जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया। प्रकरण में हालांकि विधिवत कानून की पालना हुई है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो आक्षेप लगाए गए है, उस अनुसार जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है, उस अनुसार प्रार्थी की भूमि में से 12x120 वर्गफुट भूमि अप्रार्थी के पट्टे में समाहित होना बताया है, अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में न तो सम्यक रूप से प्रतिकार किया है एवं न ही उपस्थित हुआ है। इसके विपरित प्रार्थी द्वारा विभिन्न स्तरों पर उक्त बिन्दु को उठाया गया है, किन्तु इस बिन्दु का विधिवत उपचार एकमात्र एवं अन्तिम रूप में निगरानी ही था। यदि वास्तविक रूप से प्रार्थी की भूमि में से 12x120 वर्गफुट भूमि अप्रार्थी के पट्टे में समाहित होती है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी, जिसे रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। इस हेतु प्रकरण को पुनः विधिवत जांच हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, कीरवा द्वारा मिसल संख्या 26/2007–2008, संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.05.2008 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 15.12.2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जैर निगरानी वादस्थ भूमि का भौतिक रूप से सीमांकन एवं नाप कर वास्तविक भूमि का राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 140

अति० जिला कलेक्टर, पाली

से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/09/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली